[2018] 14 एस. सी. आर. 22

मेसर्स लार्सन और टूब्रो लिमिटेड एससीओएमआई इंजीनियरिंग बी. एच. डी

वी.

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

अक्टूबर 03, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

मध्यस्थता याचिका (सी) संख्या- 2017 का 28.

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 11 (6) के तहत।

याचिकाकर्ता के लिए- गोपाल जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अतुल शर्मा, लक्ष्य खन्ना, सुश्री परशांती राव, गौतम तालुकदार, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए- श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रताप वेणुगोपाल, ए. सरना, सुश्री निहारिका, सुश्री रेम्या राज, मेसर्स। के. जे. जॉन एंड कंपनी, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

वर्तमान याचिका, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 के तहत, जो इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है, 09.01.2009 को कार्य के लिए किए गए एक अनुबंध से उत्पन्न हुई है| वडाला, मुंबई में दो विशेष रूप से निर्धारित खंडों में मोनोरेल प्रणाली की योजना , डिजाइन, विकास, निर्माण, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग, वाणिज्यिक शुरुआत की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव सहित संचालन। इस समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल है,

जो नीचे दिया गया है:-

"20.1 ठेकेदार का दावा'-	यदि ठेकेदार खुद को अनुबंध के संबंध में अन्यथा के लिए इन शर्तों के किसी भी खंड के दावे के तहत समापन और/या किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए समय के किसी भी विस्तार ठेकेदार के हकदार मानता है, तो ठेकेदार देगा दावे को जन्म देने वाली घटना या परिस्थिति का वर्णन करते हुए नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को नोटिस। नोटिस यथासंभव शीघ्र दिया जाएगा, और ठेकेदार को घटना या परिस्थिति के बारे में पता चलने के 30 दिन के भीतर नहीं दिया जाएगा, या उसे अवगत होना चाहिए था। यदि ठेकेदार 30 दिनों की अवधि के भीतर दावे का नोटिस देने में विफल रहता है, तो कार्य पूरा करने का समय नहीं बढ़ाया जाएगा , ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा, और नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को संबंध में सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा। दावे के साथ. अन्यथा, इस उप-खंड के निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे। ठेकेदार अनुबंध के लिए आवश्यक अन्य नोटिस और दावे के लिए सहायक विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित हों। ठेकेदार ऐसे समसामयिक रिकॉर्ड रखेगा जो किसी भी दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो , या तो साइट पर या नियोक्ता /नियोक्ता के प्रतिनिधि को स्वीकार्य किसी अन्य स्थान पर। दायित्व स्वीकार किए बिना , नियोक्ता/नियोक्ता का प्रतिनिधि, इस उप-खंड के तहत कोई भी नोटिस प्राप्त करने के बाद, रिकॉर्ड-रख-रखाव की निगरानी कर सकता है और/या ठेकेदार को आगे के समसामयिक रिकॉर्ड रखने का निर्देश दे सकता है। ठेकेदार नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को इन सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा , और (यदि निर्देश दिया गया हो) नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को प्रतियां जमा करेगा। दावे को जन्म देने वाली घटना या परिस्थितियों के बारे में ठेकेदार को पता चलने (या जागरूक होना चाहिए) के 45 दिनों के भीतर, या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है और नियोक्ता /

	नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित की जा सकती है , ठेकेदार नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि को एक पूरी तरह से विस्तृत दावा भेजें जिसमें दावे के आधार और समय के विस्तार और /या दावा किए गए अतिरिक्त भुगतान का पूरा समर्थन विवरण शामिल हो। यदि दावे को जन्म देने वाली घटना या परिस्थिति का प्रभाव निरंतर बना रहता है: (ए) यह पूरी तरह से विस्तृत दावा अंतरिम माना जाएगा; (बी) ठेकेदार मासिक अंतराल पर आगे अंतरिम दावे भेजेगा, जिसमें संचित विलंब और/या दावा की गई राशि, और नियोक्ता को उचित रूप से आवश्यक अन्य विवरण भी देगा; और (सी) ठेकेदार किसी घटना या परिस्थिति के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर अंतिम दावा भेजेगा जो ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है और नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। दावा प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर या पिछले दावे का समर्थन करने वाला कोई और विवरण, या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो नियोक्ता/नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित और ठेकेदार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, नियोक्ता अनुमोदन, या अस्वीकृति और विस्तृत टिप्पणियों के साथ जवाब देगा। . वह किसी आवश्यक अतिरिक्त विवरण का भी अनुरोध कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे इतने समय के भीतर दावे के सिद्धांतों पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। प्रत्येक अंतरिम भुगतान में किसी भी दावे के लिए ऐसी रकम शामिल होगी जो अनुबंध के प्रासंगिक प्रावधान के तहत उचित रूप से प्रमाणित की गई हो, जब तक कि आपूर्ति किए गए विवरण पूरे दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त न हों, ठेकेदार केवल भुगतान का हकदार होगा। दावे का वह हिस्सा जिसे वह प्रमाणित करने में सक्षम है। नियोक्ता/नियोक्ता का प्रतिनिधि उपखंड 3.5 के अनुसार आगे बढ़ेगा।

	(i) उपखंड 8.4 [समाप्ति के लिए समय का विस्तार] के अनुसार (इसकी समाप्ति से पहले या बाद में) पूरा करने के लिए समय का विस्तार (यदि कोई हो) करने के लिए सहमत होना या निर्धारित करना, और/या (ii) अतिरिक्त भुगतान (यदि कोई हो) जिसका ठेकेदार अनुबंध के तहत हकदार है। इस उप-खंड की आवश्यकताएं किसी भी अन्य उप -खंड की आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, जो किसी दावे पर लागू हो सकती हैं। यदि ठेकेदार किसी दावे के संबंध में इस या किसी अन्य उप -खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो समय का कोई भी विस्तार और /या अतिरिक्त भुगतान उस सीमा (यदि कोई हो) को ध्यान में रखेगा, जिस तक विफलता ने उचित जांच को रोका या प्रभावित किया है। दावा करें, जब तक कि दावे को इस उप-खंड के दूसरे पैराग्राफ के तहत बाहर नहीं रखा गया हो।
20.2 होने वाला विवाद नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा संदर्भित और स्थल पर तय किया जाएगा,	यदि नियोक्ता और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो अनुबंध के संबंध में, या संदर्भित और उससे उत्पन्न होने वाला, या उसके विषय वस्तु, या कार्यों के निष्पादन/कमीशनिंग द्वारा निपटाया जाने वाला विवाद। सिस्टम/संचालन और नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा सिस्टम का रखरखाव, चाहे साइट पर काम की प्रगति के दौरान /सिस्टम के संचालन और रखरखाव के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे समाप्ति, परित्याग या अनुबंध के उल्लंघन से पहले या बाद में, इसमें, पहला स्थान, उपरोक्त उप-खंड 14.4 के तहत प्रावधान के अधीन, साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा, जो ऐसा करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित देगा। नियोक्ता और ठेकेदार को अपने निर्णय की सूचना। साइट पर नियोक्ता का प्रतिनिधि उसे संदर्भित विवाद के मामलों पर विचार करते समय, किसी भी रिकॉर्ड, वाउचर, जानकारी के लिए कॉल करने और किसी भी मुद्दे को सुलझाने या स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टियों की उपस्थिति को लागू करने में सक्षम होगा। मतभेदों को सुलझाना और उसे संदर्भित मामलों पर

	निर्णय लेने में उसकी सहायता करना। मध्यस्थता के अधीन, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, इस प्रकार संदर्भित प्रत्येक मामले के संबंध में ऐसा निर्णय अंतिम होगा और नियोक्ता और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा, जो कार्यों के निष्पादन/सिस्टम को चालू करने/सिस्टम के संचालन और रखरखाव के साथ आगे बढ़ेंगे (जैसा भी मामला हो) पूरे उचित परिश्रम के साथ, भले ही कोई भी पक्ष मध्यस्थता के लिए जाता है या जाने की इच्छा रखता है। यदि साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि ने नियोक्ता और ठेकेदार को अपने निर्णय की लिखित सूचना दी है और मध्यस्थता के किसी भी दावे के संदर्भ की कोई सूचना नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे नहीं भेजी गई है। ऐसे नोटिस में, नियोक्ता के प्रतिनिधि का उक्त निर्णय अंतिम और नियोक्ता और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और इसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा। नियोक्ता या इसके बाद ठेकेदार किसी मध्यस्थता की मांग नहीं करेगा।
20.3 विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना	यदि साइट पर नियोक्ता का प्रतिनिधि उपरोक्त के अनुसार अनुरोध किए जाने वाले विवाद के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय के संदर्भ की सूचना देने में विफल रहता है या यदि नियोक्ता या ठेकेदार मध्यस्थता के किसी भी ऐसे निर्णय से असंतुष्ट हैं साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि , केवल तभी विवाद में मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जैसा कि यहां प्रावधान है
20.4 विवाद या मतभेद के लिए मध्यस्थता	विवाद या मतभेद मध्यस्थता के लिए केवल तभी होंगे जब उपरोक्त उप -खंड 20.2 और 20.3 में विवाद की शर्तें पूरी हो जाएंगी। मध्यस्थता के लिए , सिवाय इसके कि जहां अनुबंध में अन्यथा प्रावधान किया गया है , सभी विवाद या विवादों का निपटान, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेद, जो भी निर्माण, माप संचालन या अनुबंध के प्रभाव या उसके उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, मध्यस्थता द्वारा तय किए जाएंगे। जैसा कि उप खंड 20.5 में बताया गया है।

20.5 एकमात्र मध्यस्थ के लिए नामांकन	जिन मामलों पर मध्यस्थता की जानी है उन्हें एकमात्र मध्यस्थ नामांकन के लिए भेजा जाएगा जहां व्यक्तिगत दावा 5 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है। या मध्यस्थों/दावों का कुल मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक नहीं है उपरोक्त सीमा(सीमाओं) से परे, तीन मध्यस्थ होंगे। इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता उस क्षेत्र से संबंधित आवश्यक योग्यता और पेशेवर अनुभव वाले मध्यस्थों का एक पैनल बनाएगा, जिससे अनुबंध संबंधित है और जो केवल भारत के निवासी होंगे। एकल मध्यस्थ के मामले में, पैनल तीन मध्यस्थों का होगा, जिनमें से ठेकेदार एक को चुनेगा। यदि तीन मध्यस्थ नियुक्त किए जाने हैं, तो नियोक्ता पांच का एक पैनल बनाएगा। ठेकेदार और नियोक्ता उपरोक्त में से एक-एक मध्यस्थ का चयन करेंगे और चुने गए दो मध्यस्थ केवल उपरोक्त पैनल से तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो मध्यस्थता पैनल के "अध्यक्ष मध्यस्थता" के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी विवाद में, ठेकेदार नियोक्ता द्वारा पैनल को नामांकित करने के तीस (30) दिनों के भीतर मध्यस्थ को चुनने में विफल रहता है, तो नियोक्ता विवाद में मामले के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए मध्यस्थों के उसी पैनल से एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है। यदि, किसी विवाद में, दो चुने हुए मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के तीस (30) दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ - पीठासीन मध्यस्थ (मध्यस्थता पैनल के मामले) को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो नियोक्ता भारतीय मध्यस्थता परिषद, नई दिल्ली में आवेदन कर सकता है। विवादग्रस्त मामले के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए मध्यस्थों के उसी पैनल से तीसरे मध्यस्थ को नामांकित करें। किसी भी पक्ष को ऐसे मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही में अपना निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि के समक्ष रखे गए साक्ष्य या तर्क तक सीमित नहीं किया जाएगा। पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय उसे गवाह के रूप में बुलाए जाने और किसी भी मामले पर मध्यस्थों के समक्ष साक्ष्य देने से अयोग्य नहीं ठहराएगा, जो भी मध्यस्थों को संदर्भित विवाद या मतभेद से संबंधित हो। स्थानापन्न मध्यस्थ- यदि किसी कारण से मध्यस्थ अपना कार्य

	करने में असमर्थ है, तो एक स्थानापन्न मध्यस्थ को मूल मध्यस्थ की तरह ही नियुक्त किया जाएगा।
20.6 मध्यस्थता का स्थान भाषा और पुरस्कार	मध्यस्थता यहां किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में: स्थान,- (ए) कार्यवाही केवल मुंबई, भारत में आयोजित की जाएगी। भाषा और पुरस्कार (बी) अंग्रेजी भाषा सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक भाषा होगी। (नोट: दोनों पक्षों की सहमति से अंग्रेजी भाषा को किसी अन्य भाषा में बदला जा सकता है) (सी) मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में लागू किया जाएगा , और पार्टियां ऐसे प्रवर्तन के संबंध में प्रतिरक्षा के किसी भी आपत्ति या दावे को माफ कर देंगी। (डी) एक से अधिक मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता कार्यवाही में , मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय उसके सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। (ई) मध्यस्थ हमेशा सभी मामलों में विवाद में दावे के मूल्य की परवाह किए बिना आइटम-वार और तर्कसंगत निर्णय देगा। (एफ) जहां मध्यस्थता पुरस्कार पैसे के भुगतान के लिए है, उस तारीख तक किसी भी अवधि के लिए, जिस दिन निर्णय दिया जाता है, पूरे पैसे या उसके किसी हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (छ) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी। लागत में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार मध्यस्थ की फीस भी शामिल है।
20.7	मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारत मध्यस्थता नियम और

मध्यस्थता कार्यवाही कॊ शासित नियम	सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी, जिसमें संदर्भ दिए जाने के समय लागू प्रावधान शामिल होंगे मध्यस्थता कार्यवाही मॆ.
20.8 कोई पर्यवेक्षण कार्य नहीं	मध्यस्थता का संदर्भ इस बात के बावजूद भी आगे बढ़ेगा कि कोई भी पर्यवेक्षण कार्य/प्रणाली कार्य पूरा नहीं होगा या पूरा होने का आरोप नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि नियोक्ता /नियोक्ता के प्रतिनिधि और ठेकेदार के दायित्वों को कारणों से नहीं बदला जाएगा। कार्यों की प्रगति के दौरान मध्यस्थता की जा रही है। कोई भी पक्ष मध्यस्थता के कारण उस कार्य को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद संबंधित है और ठेकेदार को भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जाता रहेगा।
20.9 सीमा समय	किसी भी विवाद या मतभेद को साइट पर नियोक्ता के समय प्रतिनिधि द्वारा निर्णय की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद, यदि अधिसूचित किया गया हो, या उस तारीख से मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा जब साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि को अपना निर्णय देना चाहिए था। साइट पर नियोक्ता के प्रतिनिधि की ओर से निर्णय की सूचना देने में विफलता के मामले में उप-खंड 20.2 के तहत प्रावधानों की शर्तें।

चूंकि समझौते के पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे, इसलिए भारतीय कंपनी मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो के कंसोर्टियम और मलेशिया में निगमित कंपनी स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी द्वारा विभिन्न अंतरिम दावे किए गए थ, जिसके लिए कंसोर्टियम ने यह दायर किया है। इस न्यायालय में अधिनियम की धारा 11 के तहत याचिका, क्योंकि उनके अनुसार, मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक, मलेशिया में निगमित निकाय कॉर्पोरेट होने के नाते, एक निकाय कॉर्पोरेट होगा, जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है , जो अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (ii) को आकर्षित करेगा ।

2) कंसोर्टियम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन ने हमें समझौते के बारे में बताया है, जिसमें वह इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं कि दो संस्थाएं , यानी

भारतीय कंपनी और मलेशियाई कंपनी, हालांकि कहा गया है एक कंसोर्टियम बनें, नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि अनुबंध के पूरे कामकाज के दौरान, अलग-अलग दावे किए गए हैं, जिन्हें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (इसके बाद 'एमएमआरडीए' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि समझौते के कामकाज के दौरान, कम से कम तीन पत्रों द्वारा, दावों को वास्तव में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और इसलिए, धारा 20.4 के तहत मध्यस्थता खंड को लागू करने में कोई बाधा नहीं है । अनुबंध की सामान्य शर्तें (बाद में 'जीसीसी' के रूप में संदर्भित), क्योंकि खंड 20.1 से 20.03 तक उल्लिखित प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

3) दूसरी ओर, प्रतिवादी एमएमआरडीए की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने भारतीय कंपनी और के बीच दिनांक 09.01.2009 के अनुबंध के साथ-साथ दिनांक 04.06.2008 के वास्तविक कंसोर्टियम समझौते दोनों पर भरोसा किया है। मलेशियाई कंपनी, जिसे एक साथ पढ़ने पर पता चलेगा कि वे वास्तव में एक गैर-निगमित संघ हैं और इसलिए, एक संघ या व्यक्तियों के निकाय के रूप में धारा 2 (1) (च) (iii) अंतर्गत आएंगे, बशर्ते भारत के अलावा किसी अन्य देश में केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है कि कंसोर्टियम में, प्रमुख भागीदार भारतीय कंपनी है, और कंसोर्टियम का कार्यालय मुंबई के वडाला में है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 2 (अधिनियम का 1)(एफ) लागू नहीं होगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण, जो उक्त उप-खंड द्वारा परिकल्पित है, का प्रयोग भारत के बाहर किसी देश में नहीं बल्कि भारत में ही किया जाएगा | उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2016 को समान पक्षों के बीच पारित एक आदेश पर भी दृढ़ता से भरोसा किया है , जिसमें दिनांक 18.08.2016 के एक अंतरिम पुरस्कार को चुनौती दी गई थी, जो स्वयं से उत्पन्न समान पक्षों के बीच था। समझौता। इस आदेश ने यह कहते हुए विद्वान मध्यस्थों के अंतरिम पुरस्कार को बरकरार रखा कि उस मामले में जो विशेष दावा किया गया था वह केवल एक कंसोर्टियम के रूप में किया जा सकता है, न कि दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में। उन्होंने यह भी बताया कि यह आदेश अंतिम हो गया है क्योंकि इसे याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। जीसीसी के खंड 20.4 को खंड 20.1 से 20.3 के तहत प्रक्रिया समाप्त होने के

बाद लागू किए जाने के बारे में श्री गोपाल जैन की दलील का जवाब देते हुए, उन्होंने प्रतिवादी द्वारा लिखे गए दिनांक 22.04.2016 के एक पत्र का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया, जिसमें संदर्भ देने के बाद श्री जैन द्वारा उल्लिखित विभिन्न इनकारों के बाद, श्री जैन के ग्राहक से अतिरिक्त जानकारी और सामग्री का अनुरोध किया गया था। ऐसी सामग्री सीधे प्रस्तुत करने के बजाय , श्री जैन के ग्राहक द्वारा दिनांक 01.07.2016 को मध्यस्थता का आह्वान करने वाला एक नोटिस भेजा गया था। प्रतिवादी ने दिनांक 20.08.2016 को एक उत्तर देकर अपनी स्थिति दोहराई कि खंड 20.1 से 20.3 अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, और इसलिए, 08.09.2016 को मध्यस्थता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

4) दिनांक 09.01.2009 का अनुबंध (1) एमएमआरडीए और (2) एक कंसोर्टियम के बीच है, जिसमें (ए) एल एंड टी, एक भारतीय कंपनी, और; (बी) मैसर्स स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी, एक मलेशियाई कंपनी। यह सच है कि उनमें से प्रत्येक संयुक्त रूप से और अलग -अलग नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार है, जिसे सामूहिक रूप से "ठेकेदार" कहा जाता है।

5) अनुबंध की सामान्य शर्तों के तहत, खंड 1.1.2.3 में "ठेकेदार" को एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम के रूप में परिभाषित किया गया है , चाहे वह निगमित हो या नहीं। "बोलीदाता" को खंड 1.1.2.10 के तहत भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम जो बोली प्रस्तुत कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुबंध पर नियोक्ता, अर्थात एमएमआरडीए और ठेकेदार द्वारा मुख्य उप-खंड (ए) और (बी) के तहत हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एलएंडटी इंडिया ने 'ए' के रूप में हस्ताक्षर किए थे और स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी ने हस्ताक्षर किए थे। 'बी' के रूप में हस्ताक्षरित। जब हम कंसोर्टियम समझौते पर आते हैं जो भारतीय कंपनी और मलेशियाई कंपनी के बीच पूर्वोक्त रूप से दर्ज किया गया है , तो हम परिभाषा खंड में पाते हैं कि "कंसोर्टियम" का अर्थ एल एंड टी और स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी होगा, जो इस समझौते के उद्देश्य के लिए सहयोग में कार्य कर रहे हैं। और इसे "एलएंडटी-एसईबी" कंसोर्टियम "अन-निगमित" कहा जाएगा। अनुबंध को उप-खंड 6 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है , "परियोजना के निष्पादन के लिए नियोक्ता के साथ कंसोर्टियम द्वारा दर्ज किया जाने वाला अनुबंध"। उप-खंड 7 के तहत, "कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य" या "कंसोर्टियम लीडर" का अर्थ एलएंडटी, यानी भारतीय कंपनी होगा। उप-खंड 8 के तहत, "पर्यवेक्षी बोर्ड" (इसके बाद 'एसबी'

के रूप में संदर्भित) का अर्थ जीसीसी के खंड 11 के तहत गठित बोर्ड होगा। जब हम खंड 11.2 पर आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों में चार सदस्य होंगे , प्रत्येक सदस्य द्वारा दो नियुक्त किए जाएंगे। कंसोर्टियम लीडर द्वारा नामित और सभी सदस्यों द्वारा सहमत सदस्यों में से एक तब पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा , जो कि अनुबंध के निष्पादन से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए खंड 11.5 के अनुसार है। खंड 21.1(जी) में प्रावधान है कि कंसोर्टियम नेता सभी मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करेगा।

6) जैसा कि श्री जैन ने सही बताया है , भारतीय कंपनी और मलेशियाई कंपनी द्वारा अलग - अलग दावे किए गए थे जिन्हें प्रतिवादी ने खारिज कर दिया था। बहरहाल , 22.04.2016 के एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी ने इन विभिन्न अस्वीकृति पत्रों का उल्लेख किया , और कहा कि "विलंबित घटनाओं" की सूची के समर्थन में दस्तावेज़ अभी तक नहीं दिए गए हैं, और इसलिए, इसके जवाब में आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है। दावे के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ कुछ टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 01.07.2016 के एक पत्र द्वारा, कंसोर्टियम ने, इस पत्र का जवाब देने के बजाय, मध्यस्थता का आह्वान किया, जिसमें कहा गया कि अंतरिम दावों को पहले ही खारिज कर दिया गया था , और सभी आवश्यक जानकारी पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी , जिसके परिणामस्वरूप, क्लॉज का चरण 20.4 आ गया था. इसका उत्तर दिनांक 20.08.2016 के एक पत्र द्वारा दिया गया जिसमें प्रतिवादी ने अपनी स्थिति दोहराई कि खंड 20.3 के तहत प्रदान किए गए उपाय अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं , और इसलिए, मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई सवाल ही नहीं है। 08.09.2016 को, मध्यस्थता लागू करने वाले नोटिस का उत्तर प्रतिवादी द्वारा दिया गया , इसे अस्वीकार कर दिया गया।

7) इस समय, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2016 को दिए गए एक आदेश का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, जो, जैसा कि पहले कहा गया है, एक ही अनुबंध के तहत, स्वयं-समान पक्षों के बीच उत्पन्न होता है। एक ही अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले विभिन्न दावों पर मध्यस्थों द्वारा दिए गए एक अंतरिम फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दावा केवल कंसोर्टियम के नाम पर दायर किया जा सकता है और अलग से नहीं , जैसा कि श्री जैन के ग्राहक ने तर्क दिया था। इस संबंध में तैयार किया गया प्रारंभिक मुद्दा यह था कि "क्या दावेदार इस दावे को दावेदार नंबर 1 और दावेदार नंबर 2 के रूप में दायर करने के हकदार हैं या केवल

एलएंडटी और स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी के कंसोर्टियम के रूप में?" बॉम्बे उच्च न्यायालय, मध्यस्थों के अंतरिम फैसले से सहमत हुआ, और निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

> "8. अनुबंध के नियमों और शर्तों के साथ-साथ श्री अंखड द्वारा उद्धृत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला नहीं है कि वे मामले से निपटते समय अपनी स्वतंत्र पहचान पर भरोसा करें। प्रतिवादी और उन्हें प्रतिवादी के साथ केवल एक कंसोर्टियम के रूप में व्यवहार करना होगा। अतः आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसी कारण से, दायर वर्तमान याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं होगी। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।"

8) श्री गोपाल जैन ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि यह निर्णय अंतिम अंतर-पक्षीय निर्णय था क्योंकि कोई अपील नहीं की गई है। इसलिए, इस तथ्य पर जोर देना कि यह केवल "इस दावे" से संबंधित है और इसलिए, मध्यस्थता खंड के तहत दावों के एक अलग सेट पर लागू नहीं होगा, ऐसा तर्क नहीं है जो हमें आकर्षित करता है।

9) यह स्पष्ट है, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में माना गया है, और जो अंतर-पक्षों के लिए बाध्यकारी है, याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ व्यवहार करते समय स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करना खुला नहीं है । उन्हें प्रतिवादी के साथ कंसोर्टियम के रूप में ही व्यवहार करना होगा।

10. यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि गैर-निगमित " धारा 2 (1) (च) (iii) में संदर्भित गैर-निगमित "एसोसिएशन" इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित होगी, न कि धारा 2 (1) (च) (ii), चूंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मलेशियाई निकाय को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

11) अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (iii) व्यक्तियों के दो अलग-अलग समूहों को संदर्भित करती हैः एक "संगठन" के रूप में अलग और एक "निकाय" से अलग है, उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) के तहत, "व्यक्ति" को उप-खंड (v) के तहत, व्यक्तियों का एक संघ, या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, के रूप में परिभाषित किया गया है | इस अर्थ में, एक एसोसिएशन को धारा 2 (1) (च) (iii) में संदर्भित किया गया

है, जिसमें दो या दो से अधिक निकाय कॉर्पोरेट से युक्त एक संघ शामिल होगा, जिनमें से कम से कम एक निकाय कॉर्पोरेट में शामिल है भारत के अलावा अन्य देश.

12. इसके अलावा, "एक कंपनी या" अभिव्यक्ति जो मूल रूप से धारा 2 (1) (च) (iii) की शुरुआत में थी, को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा हटा दिया गया था। यह इस कारण से था कि इस न्यायालय के फैसले, टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड v. यू. ई. डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2008) 14 एस. सी. सी. 271 में अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (iii) में "एक कंपनी या" अभिव्यक्ति को संभवतः भारत में पंजीकृत और निगमित कंपनी को संदर्भित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिसे भारत के बाहर किसी देश में व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

"20. विद्वान वकील का तर्क है कि शब्द "या" विघटनकारी होने के कारण, 1996 अधिनियम की धारा 2 (1) (च) का उप-खंड (iii) उस मामले में लागू होगा जहां उप-खंड (ii) लागू नहीं होगा। हम सहमत नहीं हैं. उप-खंड (iii) का सहारा लेने का प्रश्न केवल उस मामले में आएगा जहां उप-खंड (ii) अन्यथा पूरी तरह से लागू नहीं होता है और जहां बहिष्करण खंड के कारण, एक समझौते पर विचार करने के लिए विचार किया जाता है एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौता होना इसकी परिभाषा के दायरे से बाहर है। एक बार जब यह माना जाता है कि दोनों कंपनियां भारत में निगमित हैं, और इस प्रकार, वे भारत में अधिवासित हैं, तो उनके बीच और उनके द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौता नहीं होगा और, इस प्रकार, प्रयोज्यता का प्रश्न धारा 2 (1) (च) का उप-खंड (iii) उत्पन्न नहीं होगा।" विधि आयोग की अगस्त 2014 की रिपोर्ट सं. 246, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में कई संशोधन किए गए, जिसमें "एक कंपनी या" शब्दों को हटाने का निम्नलिखित कारण दिया गयाः

> "(iii) उप-धारा (1), खंड (एफ), उप-खंड (iii) में, "एक संघ या व्यक्तियों का निकाय" शब्दों से पहले "एक कंपनी या" शब्द हटा दें।

[नोटः उप-अनुभाग में "एक कंपनी" का संदर्भ में उपधारा (iii) हटा दिया गया है क्योंकि यह पहले से ही उपधारा (ii) के अंतर्गत शामिल है। इरादा किसी कंपनी के निवास का निर्धारण

उसके निगमन के स्थान के आधार पर करना है, न कि केंद्रीय प्रबंधन/नियंत्रण के स्थान के आधार पर। यह टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड v. यू. ई. डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2008) 14 एस. सी. सी. 271 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया कि "निगमन का स्थान" सिद्धांत को फिर से लागू करता है , और एक अलग स्थान रखने वाली कंपनियों के मामले में अधिक निश्चितता जोड़ता है। निगमन और केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोग का स्थान]" यह स्पष्ट हो जाएगा कि "एक कंपनी या" अभिव्यक्ति को हटाने से पहले धारा 2 (1) (च) (iii) में संदर्भित व्यक्तियों के तीन समूह थे। अलग और विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में जो उक्त उपखंड के अंतर्गत आएंगे। विधि आयोग द्वारा दिए गए कारण के लिए "एक कंपनी या" वाक्यांश को हटाने के कारण यह नहीं बदलता है यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभिव्यक्ति को हटाने से पहले एक अन्य कारण यह है कि "एक संगठन" को "व्यक्तियों के समूह" के साथ क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है जो इसका अनुसरण करता है लेकिन इसके द्वारा एक अलग और विशिष्ट श्रेणी है जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट आयकर अधिनियम में परिभाषित "व्यक्ति" की परिभाषा से समझा जाता है।

13) यह मामला है, इस तथ्य के साथ, जैसा कि श्री दीवान ने सही ढंग से तर्क दिया है , कि भारतीय कंपनी प्रमुख भागीदार है, और कंसोर्टियम समझौते के तहत गठित पर्यवेक्षी बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि मुख्य भागीदार के पास वास्तव में निर्णायक आवाज है इसमें वह उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है (निस्संदेह, अन्य सदस्यों की सहमति से); और तथ्य यह है कि कंसोर्टियम का कार्यालय वडाला, मुंबई में है और यह भी कि प्रमुख सदस्य मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करेंगे, यह सब इस तथ्य की ओर इशारा करेगा कि इस कंसोर्टियम का केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत में किया जाता है, न कि किसी विदेशी में। राष्ट्र।

14) यह मामला होने पर, हम अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हैं , क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय में आने के लिए अधिनियम की धारा 2 (1) (च) के तहत परिभाषित कोई "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" नहीं है। . हम इस बात पर भी गौर करना जरूरी नहीं समझते कि क्या मध्यस्थता लागू करने के लिए उचित चरण अभी तक पहुंच पाया है।

15) उपरोक्त शर्तों के तहत मध्यस्थता याचिका खारिज की जाती है।

16) याचिकाकर्ता के लिए इस आधार पर संबंधित अदालत से संपर्क करना खुला होगा कि यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मामला नहीं है।

मध्यस्थता याचिका खारिज

आर. एफ. नरीमन, जे.

Md Safdar Ali Naiyar